न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 27/2025
जी.सी.एम.एस. नं.: 2025/62

1. बीरबल राम पुत्र श्री बाघा राम जाति जाट
2. बाधुडी पत्नी बीरबलराम जाति जाट
3. राधा देवी पत्नी कुम्भाराम जाति जाट
4. इमी देवी पत्नी राजा राम जाति जाट
5. बंसत कुमार पुत्र श्री राजा राम जाति जाट
6. मामराज पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट
7. गणपतराम पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट
8. गोगी देवी पुत्री कुम्भाराम जाति जाट
9. गुड्डी देवी उर्फ परमेश्वरी पुत्री कुम्भाराम जाति जाट
10. कमला देवी पुत्री कुम्भाराम जाति जाट
11. सरस्वती पुत्री कुम्भाराम जाति जाट
12. लाली देवी पुत्री कुम्भाराम जाति जाट

निवासी 24 एसडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—: वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र श्री बाघा राम जाति जाट
2. रूपराम पुत्र श्री बाघा राम जाति जाट
3. शांति देवी पत्नी रूपराम जाति जाट
4. कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामरख जाति जाट
5. ओमप्रकाश पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट
6. सरस्वती पत्नी केसराराम जाति जाट
7. सुधीर पुत्र केसरा राम जाति जाट
8. संजय उर्फ साहिल पुत्र केसरा राम जाति जाट
9. शिमला पत्नी श्री चन्द्रभान जाति जाट
10. अनिता पत्नी श्री चन्द्रभान जाति जाट
11. पंकज नाबालिग पुत्र चन्द्रभान जरिये संरक्षक माता शिमला देवी पत्नी चन्द्रभान

निवासी 22 जीबी (24 एसडी) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209, 91, 92, 92 ए आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

1. श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता वादीगण
2. राजपैरोकार
3. प्रतिवादीगण, एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested

—: निर्णय :—

दिनांक : [illegible]2025

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि

1. वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित भूमि के विभाजन एवं खातेदार अधिकारों की घोषणा के अनुतोष पर आधारित वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के स्वयं तथा कुछ के मृतक पूर्वजों खातेदारान के नाम से मुश्तरका खाता में मुताबिक जमाबंदी रकबा 22 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ खाता सं.

75, 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ खाता सं. 102, 4 बी.पी.एम. तह. श्रीविजयनगर खाता सं. 166, 23 एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर खाता सं. 8, 21 एस.डी. (बी) तह. श्रीविजयनगर खाता सं. 88, 21 एस.डी. (बी) तहसील श्रीविजयनगर खाता सं. 40, 21 एस.डी. (बी) तहसील श्रीविजयनगर खाता सं. 146, 13 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर खाता सं. 19, 13 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर खाता सं. 11, 22 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर खाता सं. 15, 22 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर खाता सं. 16, 22 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर खाता सं. 162 में भूमि खातेदारी है। उक्त समस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों को 1927 में गंग नहर और 1975 में इन्दिरा गांधी नहर आने के समय से प्राप्त हुई कृषि भूमि है एवं कृषि भूमि बाद में खरीदशुदा है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों का एवं उनके पश्चात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण अंकित खरीददारान सह खातेदारों का कब्जा काश्त निरन्तर लगातार चला आ रहा है। कालान्तर में काफी अर्सा पूर्व ही उक्त मुश्तरका खाता की भूमि को सभी सह खातेदारान द्वारा आपसी सहमति एवं रजामन्दी से घरेलु बंटवारा कर लिया था व वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण उसी अनुसार घरेलु बंटवारा रोज से अपने अपने हिस्सा भूमि अनुसार घरू बंटवारा में आये विशिष्ट किला जात के रकबा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण की आपसी सहमति व घरेलु बंटवारा अनुसार वादीगण को रकबा विभिन्न चकों की भूमि व मुरब्बा नम्बर के किलाजात प्राप्त हुए है। खाता विभाजन में वर्णित समस्त रकबा 37.579 है. है जिसका राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज हिस्सा व उक्तानुसार मौके पर आपसी सहमति से काबिज घरेलु बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्त हुआ है। वादीगण/प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर साधिकार मालिक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं शान्ति पूर्वक निर्बाध कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण के घरेलु बंटवारा में प्राप्त रकबा के अलावा मुश्तरका खाता के अन्य रकबा प्रतिवादीगण को उनके हिस्सा अनुसार घरेलु विभाजन में प्राप्त हुआ है जिस पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जो कि उक्त सभी खातेदारान के पूर्वजों द्वारा अपना अपना हिस्सा की भूमि किस्म, रास्ता, सिंचाई आदि सूविधाओं अनुसार सहमति से घरेलु विभाजन कर लिया था। उसी अनुसार वादीगण व उनके पूर्वज करीब 50 वर्षो से रकबा पर अपने अपने हिस्सा पर काबिज होकर सभी सह खातेदारान की सहमति व ज्ञान से काश्त करते आ रहे है। जिस पर कभी किसी को कोई एतराज नहीं रहा है। इसलिए उक्त [illegible]ाजन से प्राप्त किला वाईज रकबा पर वादीगण [illegible] है। घरेलु विभाजन अनुसार ही काबि[illegible] द्वारा समय समय पर अपने पारिवारिक सैटलमेन्ट में दस्तबर[illegible]/दान/विरासत अंकन आदि भी किये जाते रहे है। जिनका उक्त घरेलु विभाजन अनुसार ही कब्जा भूमि हस्तान्तरण होता रहा है। वादीगण द्वारा घरेलु विभाजन में प्राप्त उक्तानुसार कब्जा काश्त की भूमि को अपनी मानते हुए अथाह मेहनत व धन खर्च कर समतल आदि कर उपजाऊ बनाया है तथा सिंचाई साधन टयूबवैल आदि स्थापित किये है। परन्तु आज

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested

रोज भी भूमि संयुक्त खाता में चली आ रही है जिससे वादीगण को काश्त करने, भूमि सुधार हेतु विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा लगान आदि जमा करवाने में भी परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त दर्ज सहखातेदारान के परिवारो में बढ़ोतरी होते जाने पर खाता विरास्तन आदि दर्ज होकर बहुत बड़ा होता जा रहा है जिस कारण से भी वादीगण को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादीगण घरेलु विभाजन से प्राप्त रकबा अनुसार विधिक विभाजन करवाकर पृथक–पृथक किलावाईज दर्ज करवाना चाहते है जिसके वादीगण विधिक अधिकारी है और संयुक्त खाता की भूमि में अंकित सह खातेदारान होने से अनवानी वाद लाने के लिए अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को समय समय पर उक्त घरेलु बंटवारा अनुसार व काश्त अनुसार मुश्तरका खाता भूमि का विधिक विभाजन करवाकर किला वाईज पृथक पृथक भूमि अपने अपने नाम करवाने हेतु कहा जाता रहा तो प्रतिवादीगण द्वारा आश्वासन दिये जाते रहे परन्तु किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया। बल्कि अनावश्यक टाल मटोल कर आश्वासन दिये जाते रहे कि खाता बहुत बड़ा है जब कभी राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो सभी सह खातेदारान इकठ्ठे होकर ब्यान आदि देकर घरेलु विभाजन व कब्जा काश्त में चले आ रहे रकबा अनुसार भूमि का विधिक विभाजन करवाकर किले वाईज पृथक–पृथक अंकन करवा लेगे। अर्सा दराज से आपका घरेलु विभाजन अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें किसी को कोई एतराज नही है। इसलिए आपको चिन्ता की आवश्यकता नहीं है। जिस पर वादीगण सद्भावी रहे। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कार्यवाही कर कोई सहयोग नही किया गया बल्कि वादीगण द्वारा आज से पूर्व समय समय पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व शिविर/लोक अदालत आदि का लाभ उठाकर खाता विभाजन करवाये जाने का कहा जाता रहा परन्तु फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई आवश्यक सहयोग नहीं किया तो जिस पर वादीगण द्वारा अब दिनांक 15.01.2025 को रोबरू मौजिज व्यक्तियों के समक्ष चक 22 जी.बी. में पंचायत कर प्रतिवादीगण को उक्त अनुसार विभाजन का कहा तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये व धमकी दी कि हम कोई खाता विभाजन नहीं करवायेगे। यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। विवादित मुश्तरका खाता की भूमि में किसी खातेदारान द्वारा यदि संयुक्त खाता रहते किसी प्रकार कोई भूमि हस्तान्तरण आदि कर दिया जाता है तो तृतीय पक्ष के हक सृजित हो जाने से वादीगण के विधिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा इसलिए मुश्तरका खाता में दर्ज भूमि का विधिक विभाजन होकर पृथक–पृथक किला वाईज घरेलु विभाजन अनुसार राजस्व अंकन होने तक प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी विधिक अधिकारी है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर अन्दर मियाद पेश है। राजस्थान सरकार भू–धारक होने के कारण से तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है इसलिए प्रतिवादी संख्या 12 व 13

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested

के रूप में पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र वादीगण वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया कि :–

क्र. स.	नाम काश्तकार	चक	प.न.	कुल रकबा	वि.वि.
1.	बीरबल राम पुत्र बाघा राम जाति जाट साकिन 24 एस.डी. खातेदार (वादी संख्या 1)	22 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर	156/411 (6) 155/411 (7) 156/417 (28) 155/417 (29)	कि.न.2/0.253, 6/0.177, 7/0.253, 11/0.253, 16/0.177, 19/0.253, 20/0.253, 21/0.95(कि.न.20 के चिपता)=1.714 है. कि.न.7/1 में 0.235, 8/1 (7/1 के चिपता) में 0.018 =0.253 है. कि.न.1/2 में 0.235 है., 10/2 में 0.018 है.=0.253 है. कि.न.25/1 में 0.008 है. (मुरब्बा लाईन पर) **कुल 2.228 है.**	
		13 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर	152/410 (41)	कि.न.1, 3, 8, 10 में 1.012 है., 11 में 0.126 है. (कि.न.10 के चिपता), 13/1 में 0.127 है., **कुल 1.265 है.**	
		21 एस.डी.(बी) तह. श्रीविजयनगर	142/420 (34) 143/421 (36)	कि.न.5, 8, 13 का 0.759 है. कि.न.1 में 0.253 है., 6 में 0.140 है. (दक्षिण पासा),7 में 0.139 है.(दक्षिण पासा), 8 में 0.034 है., 10 में 0.253 है., 15/1 में 0.127 है.(पश्चिम पासा)=0.946 है. **कुल 1.705 है.**	
		4 बी.पी.एम. तह. श्रीविजयनगर	133/419 (58)	कि.न.22/2 में 0.152 है. (उत्तरी पासा), 23/2 में 0.101 है. (उत्तरी पासा) कुल **0.253 है.**	
		24 एस.डी. तह. सूरतगढ़	155/420 (17)	कि.न.5 में 0.127 है., 6 में 0.253 है.,7 में 0.127 है., 14, 15 में 0.506 है., 17 में 0.162 है. (कि.न.14 से चिपता), 21/1 में 0.076 है., **कुल 1.251 है.**	
2.	बादुडी देवी पत्नी बीरबल राम जाति जाट साकिन 24 एस.डी. खातेदार (वादी संख्या 2)	22 एस.डी. तह. सूरतगढ़	144/420 (33) 144/421 (34)	कि.न.24/1 में 0.228 है. कि.न.5, 6 में 0.506 है., 15 में 0.171 है. (कि.न.6 के चिपता) **कुल 0.905 है.**	
				क.स. 1 व 2 का महायोग 7.607 है.	
3.	ईमी देवी पत्नी राजाराम, बसन्त कुमार पुत्र राजाराम बहिब 1/9 हिस्सा, गणपत राम, मामराज पुत्र कुम्भाराम, कमला देवी, गुड्डी	22 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर	156/411 (44)	कि.सं.1 ता 5, 13, 14, 24, 25 का 2.277 है., 15 में 0.127 है. (कि.न.14 के चिपता), 23 में 0.126 है. (कि.न.24 के चिपता) **कुल 2.530 है.**	

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested

	देवी, गोगी देवी, लाली देवी, सरस्वती देवी पुत्रीयां कुम्भा राम, राधा देवी पत्नी कुम्भा राम बहिब 8/9 जाति जाट साकिन 24 एस.डी. खातेदार (वादीगण संख्या 3 ता 12)	13 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर	151/413 (54)	कि.न.1 में 0.228 है., 10 में 0.228 है., 11 में 0.228 है., 19, 22 में 0.506 है., 20 में 0.025 है. (कि.न.11 के चिपता) **कुल 1.215 है.**	
		21 एस.डी.(बी) तह. श्रीविजयनगर	143/421 (36) 142/421 (37)	कि.न.8 में 0.219 है., 9, 12, 13 में 0.759 है. कि.न.13, 18 में 0.506 है. **कुल 1.484 है.**	
		23 एस.डी तह. श्रीविजयनगर	147/415 (25) 146/415 (24)	कि.न.25 में 0.253 है. कि.न.17 ता 23 में 1.771 है., 24 में 0.101 है.(कि.न.23 के चिपता) **कुल 2.125 है.**	
		4 बी.पी.एम. तह. श्रीविजयनगर	133/420 (65) 133/419 (58)	कि.न.2/2 में 0.114 है., 3/2 में 0.075 है.(मुरब्बा लाईन के चिपता) कि.न.22/2 में 0.038 है., 23/2 में 0.026 है. (मुरब्बा लाईन के चिपता) **कुल 0.253 है.**	
				क्र.स. 3 का महायोग 7.607 है.	
4.	शांतिदेवी पत्नी रूप राम सा. 22 जी.बी. हिस्सा 1/2 सुरजा राम पुत्र बाघा राम हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी 24 एस.डी. खातेदार (प्रतिवादी संख्या कमश 3 व 1)	22 एस.डी. तह. सूरतगढ़	144/420 (33) 144/421 (34)	कि.न.25/1 में **0.228 है.** कि.न.4 में 0.253 है., 15 में 0.082 है. (कि.न.16 के चिपता), 16 में 0.253 है., 25/2 में 0.089 है. **कुल 0.905 है.**	
5.	कृष्ण कुमार पुत्र रामरख 1/3 हिस्सा, रूप राम पुत्र बाघा राम 1/3 हिस्सा सा. 22 जी. बी., सुरजा राम पुत्र बाघा राम 1/3 हिस्सा सा. 24 एस. डी. खातेदार (प्रतिवादी संख्या कमश 4, 2 व 1)	24 एस.डी. तह. सूरतगढ़	155/420 (17)	कि.न.13 में 0.126 है., 16 में 0.253 है., 17 में 0.091 है. (कि.न.24 के चिपता), 18 में 0.253 है., 19 में 0.127 है., 22/1 में 0.164 है., 23, 24, 25 में 0.759 है **कुल 1.773 है.**	
		4 बी.पी.एम. तह. श्रीविजयनगर	133/420 (65)	कि.न.2/2 में 0.076 है. (दक्षिण पासा), 3/2 में 0.051 है. (दक्षिण पासा), 8/2 में 0.127 है., 9/2 में 0.190 है., 12/2 मे 0.190 है., 13/2 में 0.126 है. **कुल 0.760 है.**	

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

		21 एस.डी.(बी) तह. श्रीविजयनगर	143/421 (36)	कि.न.5/2 में 0.127 है., 6 में 0.113 है., 7 में 0.114 है., 15 में 0.126 है., 24/1 में 0.126 है., 4, 11, 14, 16 ता 22, 25 में 2.783 है.=3.389 है.	
			142/420 (34)	कि.न.3, 18 का 0.506 है., 23/2 में 0.228 है.	
			142/421 (37)	कि.न.3, 8, 23 का 0.759 है. **कुल 4.882 है.**	
		13 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर	152/410 (41)	कि.न.2 में 0.253 है., 9 में 0.253 है., 11 में 0.127 है., 12 में 0.253 है., 19 ता 22 में 1.012 है., **कुल 1.898 है.**	
		22 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर	156/411 (6)	कि.न.9, 10, 12 में 0.759 है.	
			155/411 (7)	कि.न.3 में 0.253 है., 5/3 में 0.063 है., 8/1 में 0.131 है., 9/1 में 0.018 है., 10/1 में 0.019 है. =0.484 है.	
			155/417 (29)	कि.न.24/2 में 0.168 है., 25/1 में 0.220 है., 25/2 में 0.025 है.=0.413 है.	
			158/420 (44)	कि.न.6 ता 12 में 1.771 है., 15 में 0.126 है. (मुरब्बा लाईन पर), 16 ता 22 में 1.771 है., 23 में 0.127 है. (कि.न. 22 के चिपता)= 3.795 है. **कुल 5.451 है.**	
		23 एस.डी. तह. श्रीविजयनगर	146/415 (24)	कि.न.12 में 0.253, 13 में 0.253, 14 में 0.253, 24 में 0.152= 0.911 है.	
			146/416 (33)	कि.न.1, 2 में 0.506 है.	
			147/415 (25)	कि.न.22, 23 में 0.506 है.	
			147/[illegible] (32)	कि.न.2, 3, 5, 8, 9 में 1.265 है. [illegible] 3.188 है.	
				क.सं.5 का महायोग 17.952 है.	
6.	ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम हिस्सा 0.202 है. रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्रीविजयनगर सरस्वती पत्नी	13 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर	151/41[illegible] (54)	कि.न.2/1 में 0.228 है., 2/2 में 0.025 है., 3/1 में 0.228 है., 3/2 में 0.025 है., 8, 9 में 0.506 है., 12 में 0.253 है., 13/1 में 0.127 है., 20 में 0.203 है., 21 में 0.228 है. **कुल 1.823 है.**	

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested

	केसरा राम, साहिल पुत्र केसर राम, सुधीर पुत्र केसरा राम हिस्सा 0.203 है. ,शिमला पत्नी चन्द्रभान, पंकज नाबा. पुत्र चन्द्रभान जरिये संरक्षक माता शिमला, अनिता पुत्री चन्द्रभान हिस्सा 0.203 है., सुरजा राम पुत्र बाघा राम हिस्सा 0.607 है. सा. 24 एस.डी. कृष्ण कुमार पुत्र रामरख हिस्सा 0. 608 है. सा. 22 जी. बी. जाति जाट खातेदार (प्रतिवादी संख्या कमश 5, 6, 8, 7, 9, 11, 10, 1, 4)				
7.	ईमी देवी पत्नी राजाराम 0.08 है. ,बसन्त कुमार पुत्र राजाराम 0.08 है. ,गणपत राम, मामराज पुत्र कुम्भाराम, कमला देवी, गुड्डी देवी, गोगी देवी, लाली देवी, सरस्वती देवी पुत्रीयां कुम्भा राम, राधा देवी पत्नी कुम्भा राम बहिब 0. 124 है., बीरबल राम पुत्र बाघा राम 0.140 है., सुरजा राम पुत्र बाघा राम सा.24 एस.डी.0.660 है., कृष्ण कुमार पुत्र राम 0.660 है., जाति जाट साकिन 22 जी. बी. खातेदार (कमश वादी संख्या 4 से 12, 3, 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2)	22 जी.बी.	156/411 (6)	कि.न.17, 18 में 0.506 है., 21 में 0.158 है., 22, 23, 24 में 0.759 है., 25 में 0. 177 है. **कुल 1.600 है.**	
8.	कृष्ण कुमार पुत्र रामरख 1/2 हिस्सा, सुरजाराम पुत्र बागाराम 1/2 हिस्सा जाति जाट निवासी 24 एस.डी. खातेदार (प्रतिवादी संख्या कमश 4 व 1)	22 जी.बी.	155 (7)	कि.न.18/1 का 0.085	

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार
श्रीविजयनगर

उक्तानुसार विशिष्ट किलाजात अनुसार खाता विभाजन स्वीकार कर खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे। मुताबिक उक्त विधिक विभाजन घोषणा वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में किले वाईज पृथक–पृथक रकबा अंकन करने के आदेश फरमाये जाने के लिए निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 से 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। राजपैरोकार जवाब सरकार पेश किया और राज्य हित को ध्यान में रखकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र पर किसी प्रकार का विरोध प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में तनकीयात कायम नहीं की गयी। वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र बसंत कुमार का पेश हुआ जिस पर ब्यान दर्ज कर दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए। बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी निवेदन किया कि प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो कि वाद पत्र पर सहमत है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति विभिन्न खातों में वादीगण एवं परिवादीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम से पृथक पृथक सहखातेदारी में दर्ज है, जिसका वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से घरू बंटवारा कर रखा है जिसके आधार पर ही वे विवादित भूमि पर काबिज काश्त है एवं विभाजन करवाना चाहते है। वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील वादी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा कुम्भाराम पुत्र बग्गाराम, राजाराम पुत्र कुंभाराम, केशराराम पुत्र सुरजाराम, चन्द्रभान पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज है। अधिवक्ता वादी का कथन है कि उक्त खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण ही है। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श सं. 2 से 13 वादग्रस्त भूमि की राजस्व रिकार्ड जमाबंदीयों की प्रतियां प्रस्तुत की गई है। प्रदर्श सं. 1 नामान्तरकरण चक 22 जीबी सं. 503 किस्म विरासत स्वीकृत दिनांक 13.06.2023 की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार मृतक खातेदार कुम्भाराम एवं राजाराम के वादीगण सं. 3 से 12 वारिसान है जिसके आधार [illegible] विरासत नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। वादी [illegible] तस्दीक वारिसान द्वारा पटवारी बाबत् मृतक केशराराम [illegible] सुरजाराम तथा तस्दीक वारिसान द्वारा पटवारी बाबत् मृतक चन्द्रभान पुत्र सुरजाराम की प्रस्तुत की गयी है। जिसके अनुसार मृतक खातेदार केशराराम उर्फ केसराराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 6 से 8 है तथा मृतक खातेदार चन्द्रभान के वारिसान प्रतिवादी सं. 9 से 11 है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं वाद पत्र के तथ्यों का गहनता से परिशीलन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा अपनी

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested

विभिन्न खातों में विभाजित वादग्रस्त भूमि को घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त अनुसार अपने अपने हिस्सा मुताबिक विभाजित करवाना चाहते है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी हैं प्रकरण में वाद पत्र के तथ्यों पर किसी प्रतिवादी द्वारा कोई एतराज एवं आपत्ति जाहिर नहीं की गई है न ही कोई लिखित अभिकथन प्राप्त हुआ है। ऐसे में वाद के तथ्य स्वतः ही वादीगण के पक्ष में सिद्ध है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाना उचित है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अद्योलिखित तालिका में वादीगण/प्रतिवादीगण के नाम के सम्मुख अंकित भूमि का संबंधित को खातेदार घोषित किया जाता है :-

क्र. स.	नाम काश्तकार	चक	प.न.	कुल रकबा
1.	बीरबल राम पुत्र बाघा राम जाति जाट साकिन 24 एस.डी. खातेदार (वादी संख्या 1)	22 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर	156/411 (6) 155/411 (7) 156/417 (28) 155/417 (29)	कि.न.2/0.253, 6/0.177, 7/0.253, 11/0.253, 16/0.177, 19/0.253, 20/0.253, 21/0.95(कि.न.20 के चिपता)=1.714 है. कि.न.7/1 में 0.235, 8/1 (7/1 के चिपता) में 0.018 =0.253 है. कि.न.1/2 में 0.235 है., 10/2 में 0.018 है.=0.253 है. कि.न.25/1 में 0.008 है. (मुरब्बा लाईन पर) **कुल 2.228 है.**
		13 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर	152/410 (41)	कि.न.1, 3, 8, 10 में 1.012 है., 11 में 0.126 है. (कि.न.10 के चिपता), 13/1 में 0.127 है., **कुल 1.265 है.**
		21 एस.डी.(बी) तह. श्रीविजयनगर	142/420 (34) 143/421 (36)	कि.न.5, 8, 13 का 0.759 है. कि.न.1 में 0.253 है., 6 में 0.140 है. (दक्षिण पासा),7 में 0.139 है.(दक्षिण पासा), 8 में 0.034 है., 10 में 0.253 है. , 15/1 में 0.127 है.(पश्चिम पासा) = 0.946 है. **कुल 1.705 है.**
		[illegible] तह. [illegible]	133/419 [illegible]	कि.न.22/2 में 0.152 है. (उत्तरी पासा), 23/2 में 0.101 है. (उत्तरी पासा) कुल **0.253 है.**
		24 एस.डी. तह. सूरतगढ़	[illegible] (17)	कि.न.5 में 0.127 है., 6 में 0.253 है.,7 में 0.127 है., 14, 15 में 0.506 है., 17 में 0.162 है. (कि.न.14 से चिपता), 21/1 में 0.076 है., **कुल 1.251 है.**
2.	वादुडी देवी पत्नी बीरबल राम जाति जाट साकिन 24 एस.डी. खातेदार (वादी संख्या 2)	22 एस.डी. तह. सूरतगढ़	144/420 (33) 144/421 (34)	कि.न.24/1 में 0.228 है. कि.न.5, 6 में 0.506 है., 15 में 0.171 है. (कि.न.6 के चिपता) **कुल 0.905 है.**

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested

3.	ईमी देवी पत्नी राजाराम, बसन्त कुमार पुत्र राजाराम बहिब 1/9 हिस्सा, गणपत राम, मामराज पुत्र कुम्भाराम, कमला देवी, गुड्डी देवी, गोगी देवी, लाली देवी, सरस्वती देवी पुत्रीयां कुम्भा राम, राधा देवी पत्नी कुम्भा राम बहिब 8/9 जाति जाट साकिन 24 एस.डी. खातेदार (वादीगण संख्या 3 ता 12)	22 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर	158/420 (44)	कि.न.1 ता 5, 13, 14, 24, 25 का 2.277 है., 15 में 0.127 है. (कि.न.14 के चिपता), 23 में 0.126 है. (कि.न.24 के चिपता) **कुल 2.530 है.**
		13 जी.बी. तह. श्रीविजयनगर	151/413 (54)	कि.न.1 में 0.228 है., 10 में 0.228 है., 11 में 0.228 है., 19, 22 में 0.506 है., 20 में 0.025 है. (कि.न.11 के चिपता) **कुल 1.215 है.**
		21 एस.डी.(बी) तह. श्रीविजयनगर	143/421 (36) 142/421 (37)	कि.न.8 में 0.219 है., 9, 12, 13 में 0.759 है. कि.न.13, 18 में 0.506 है. **कुल 1.484 है.**
		23 एस.डी तह. श्रीविजयनगर	147/415 (25) 146/415 (24)	कि.न.25 में 0.253 है. कि.न. 17 ता 23 में 1.771 है., 24 में 0.101 है. (कि.न.23 के चिपता) **कुल 2.125 है.**
		4 बी.पी.एम. तह. श्रीविजयनगर	133/420 (65) 133/419 (58)	कि.न.2/2 में 0.114 है., 3/2 में 0.075 है.(मुरब्बा लाईन के चिपता) कि.न.22/2 में 0.038 है., 23/2 में 0.026 है. (मुरब्बा लाईन के चिपता) **कुल 0.253 है.**
4.	शांतिदेवी पत्नी रूप राम सा. 22 जी.बी. हिस्सा 1/2 सुरजा राम पुत्र बाघा राम हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी 24 एस.डी. खातेदार (प्रतिवादी संख्या क्रमशः 3 व 1)	22 एस.डी. तह. सूरतगढ़	144/420 (33) 144/421 (34)	कि.न. 25/1 में **0.228 है.** कि.न.4 में 0.253 है., 15 में 0.082 है. (कि.न.16 के चिपता), 16 में 0.253 है., 25/2 में 0.089 है. **कुल 0.905 है.**
5.	कृष्ण कुमार पुत्र रामरख 1/3 हिस्सा, रूप राम पुत्र बाघा राम 1/3 हिस्सा सा. 22 जी. बी., सुरजा राम पुत्र बाघा राम 1/3 हिस्सा सा. 24 एस. डी. खातेदार (प्रतिवादी संख्या क्रमश 4, 2 व 1)	24 एस.डी. तह. सूरतगढ़	155/420 (17)	कि.न.13 में 0.126 है., 16 में 0.253 है., 17 में 0.091 है. (कि.न.24 के चिपता), 18 में 0.253 है., 19 में 0.127 है., 22/1 में 0.164 है., 23, 24, 25 में 0.759 है. **कुल 1.773 है.**
		4 बी.पी.एम. तह. श्रीविजयनगर	133/420 (65)	कि.न.2/2 में 0.076 है. (दक्षिण पासा), 3/2 में 0.051 है. (दक्षिण पासा), 8/2 में 0.127 है., 9/2 में 0.190 है., 12/2 मे 0.190 है., 13/2 में 0.126 है. **कुल 0.760 है.**

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

	कृष्ण कुमार पुत्र रामरख 1/3 हिस्सा, रूप राम पुत्र बाघा राम 1/3 हिस्सा सा. 22 जी. बी., सुरजा राम पुत्र बाघा राम 1/3 हिस्सा सा. 24 एस. डी. खातेदार (प्रतिवादी संख्या कमश 4, 2 व 1)	21 एस.डी.(बी) तह. श्रीविजयनगर	143/421 (36) 142/420 (34) 142/421 (37)	कि.न.5/2 में 0.127 है., 6 में 0.113 है., 7 में 0.114 है., 15 में 0.126 है., 24/1 में 0.126 है., 4, 11, 14, 16 ता 22, 25 में 2.783 है.=3.389 है. कि.न.3, 18 का 0.506 है., 23/2 में 0.228 है. कि.न.3, 8, 23 का 0.759 है. **कुल 4.882 है.**
		13 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर	152/410 (41)	कि.न. 2 में 0.253 है., 9 में 0.253 है., 11 में 0.127 है., 12 में 0.253 है., 19 ता 22 में 1.012 है., **कुल 1.898 है.**
		22 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर	156/411 (6) 155/411 (7) 155/417 (29) 158/420 (44)	कि.न.9, 10, 12 में 0.759 है. कि.न.3 में 0.253 है., 5/3 में 0.063 है., 8/1 में 0.131 है., 9/1 में 0.018 है., 10/1 में 0.019 है. =0.484 है. कि.न.24/2 में 0.168 है., 25/1 में 0.220 है., 25/2 में 0.025 है.=0.413 है. कि.न.6 ता 12 में 1.771 है., 15 में 0.126 है. (मुरब्बा लाईन पर), 16 ता 22 में 1.771 है., 23 में 0.127 है. (कि.न.22 के चिपता)= 3.795 है. **कुल 5.451 है.**
		23 एस.डी. तह. श्रीविजयनगर	146/415 (24) 146/416 (33) 147/415 (31) 147/416 (32)	कि.न.12 में 0.253, 13 में 0.253, 14 में 0.253, 24 में 0.152 = 0.911 है. कि.न.1, 2 में 0.506 है. कि.न.22, 23 में 0.506 है. कि.न.2, 3, 5, 8, 9 में 1.265 है. **कुल 3.188 है.**
6.	ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम हिस्सा 0.202 है. रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्रीविजयनगर सरस्वती पत्नी केसरा राम, साहिल	13 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर	151/3 (54)	कि.न.2/1 में 0.228 है., 2/2 में 0.025 है., 3/1 में 0.228 है., 3/2 में 0.025 है., 8, 9 में 0.506 है., 12 में 0.253 है., 13/1 में 0.127 है., 20 में 0.203 है., 21 में 0.228 है. **कुल 1.823 है.**

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

	पुत्र केसर राम, सुधीर पुत्र केसरा राम हिस्सा 0.203 है. ,शिमला पत्नी चन्द्रभान, पंकज नाबा. पुत्र चन्द्रभान जरिये संरक्षक माता शिमला, अनिता पुत्री चन्द्रभान हिस्सा 0.203 है., सुरजा राम पुत्र बाघा राम हिस्सा 0.607 है. सा. 24 एस.डी. कृष्ण कुमार पुत्र रामरख हिस्सा 0.608 है. सा. 22 जी.बी. जाति जाट खातेदार (प्रतिवादी संख्या कमश 5, 6, 8, 7, 9, 11, 10, 1, 4)			
7.	ईमी देवी पत्नी राजाराम 0.08 है. ,बसन्त कुमार पुत्र राजाराम 0.08है, गणपत राम, मामराज पुत्र कुम्भाराम, कमला देवी, गुड्डी देवी, गोगी देवी, लाली देवी, सरस्वती देवी पुत्रीयां कुम्भा राम, राधा देवी पत्नी कुम्भा राम बहिब 0.124 है., बीरबल राम पुत्र बाघा राम 0.140 है., सुरजा राम पुत्र बाघा राम सा.24 एस.डी.0.660 है., कृष्ण कुमार पुत्र राम 0.660 है., जाति जाट साकिन 22 जी. बी. खातेदार (कमश वादी संख्या 4 से 12, 3, 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2)	22 जी.बी.	156/411 (6)	कि.न.17, 18 में 0.506 है., 21 में 0.158 है., 22, 23, 24 में 0.759 है., 25 में 0.177 है. **कुल 1.600 है.**
8.	कृष्ण कुमार पुत्र रामरख 1/2 हिस्सा, सुरजाराम पुत्र बागाराम 1/2 हिस्सा जाति जाट निवासी 24 एस.डी. खातेदार (प्रतिवादी संख्या कमश 4 व 1)	24 जी.बी.	156/411	कि.न.8/1 का 0.085

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

तहसीलदार श्रीविजयनगर एवं तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विभाजन अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से पृथक खाता में भूमि खातेदार दर्ज की जावे। भूमि की किस्म/प्रकृति, राहिन तथा अन्य अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested